रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003—05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-20092021-229786
CG-DL-W-20092021-229786

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 31] नई दिल्ली, सितम्बर 12 - सितम्बर 18, 2021, शनिवार/ भाद्र 21- भाद्र 27, 1943
No. 31] NEW DELHI, SEPTEMBER 12 - SEPTEMBER 18, 2021, SATURDAY/ BHADRA 21 - BHADRA 27, 1943

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

जनजातीय कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 2021

सा.का.नि. 110.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति एतदद्वारा जनजातीय कार्य मंत्रालय में विधि सहायक (समूह ख पद) की भर्ती की प्रक्रिया को विनियमित करते हुए निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात् : -

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—**(1) इन नियमों को 'जनजातीय कार्य मंत्रालय (विधि सहायक, समूह ख पद) भर्ती नियमावली, 2021' कहा जा सकता है।

(2) ये सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वेतन मैट्रिक्स में वर्गीकरण तथा स्तर (लेवल) .—**उक्त पदों की संख्या, उनके साथ संलग्न वेतन मैट्रिक्स में उनका वर्गीकरण और स्तर, इन नियमों के साथ सलंग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथा निर्दिष्ट होंगे।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा तथा अन्य योग्यताएं आदि .—**उक्त पदों की भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं और उससे संबंधित अन्य मामले उपर्युक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथा निर्दिष्ट होंगे।

4. **अयोग्यता.—**कोई भी व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह किया है या विवाह का अनुबंध किया है जिसकी पत्नी / पति जीवित है, अथवा

(ख) जिसकी पत्नी/पति जीवित है और किसी व्यक्ति के साथ विवाह किया है या विवाह का अनुबंध किया है, उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

बशर्ते कि केन्द्रीय सरकार यदि संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह वाले अन्य पक्ष के लिए लागू वैयक्तिक कानून के तहत मान्य है और उस व्यक्ति के द्वारा ऐसा कृत्य करने के अन्य कारण हैं तो किसी व्यक्ति को इस नियम के लागू होने में छूट प्रदान कर सकती हैं।

5. छूट देने की शक्ति.—जहाँ केंद्रीय सरकार का यह विचार है कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो आदेशानुसार, कारणों को लिखित में दर्ज करते हुए और संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श से, किसी भी वर्ग या श्रेणी के व्यक्तियों के संबंध में इन नियमों के किसी भी प्रावधान के तहत छूट दी जा सकेगी।

6. **शर्त.—**इन नियमों में इस संबंध में समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियो, अनुसूचित जनजातियों, पूर्व सैनिकों और अन्य विशेष श्रेणी के व्यक्तियों के लिए प्रदान किए जाने वाले आरक्षण, आयु-सीमा में छुट और अन्य रियायतों से कुछ भी प्रभावित नहीं करेगा।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर	क्या चयन पद है या गैर-चयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
विधि सहायक	1*(2021) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तनीय	सामान्य केंद्रीय सेवा, अराजपत्रित, अलिपिक वर्गीय समूह ख	लेवल-7 (44900-142400 रुपये)	लागू नहीं	लागू नहीं

सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यताएं पदोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होगी	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	अल्पकालिक अनुबंध सहित प्रतिनियुक्ति- 100 प्रतिशत

पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिससे पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति मौजूद है, तो उसकी संरचना क्या है।	ऐसी परिस्थितियाँ जिनमे भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है।
(11)	(12)	(13)
केंद्र सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या	लागू नहीं	संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श आवश्यक नहीं है।

स्वायत्त निकाय या सांविधिक निकाय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान के तहत अधिकारी: क (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण करने वाले; या (ii) सातवें केंद्रीय वेतन आयोग या समकक्ष के अनुसार वेतन मैट्रिक्स के स्तर 6 (35400-11240 रू.) में पद पर पांच साल की नियमित सेवा सहित; तथा (ख) निम्नानुसार निर्धारित शैक्षणिक योग्यताएं और अनुभव रखने वाले: (i) शैक्षिक योग्यताएँ: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कानून में स्नातक डिग्री (ii) अनुभव: केंद्र सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या स्वायत्त निकाय या सांविधिक निकाय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान में कानूनी मामलों में दो साल का अनुभव। **नोट 1:** प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसमें केंद्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग –बाह्य पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि शामिल है, आमतौर पर तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **नोट 2:** प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध/ संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि तक छप्पन (56) वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

[फा.सं.1 1 0 1 3 /1/2010-स्था.]

रीमा शर्मा, अवर सचिव

MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS

New Delhi, the 15th September, 2021

G.S.R. 110.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution , the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Legal Assistant(Group 'B' post) in the Ministry of Tribal Affairs , namely :—

1. **Short title and commencement.—**(1) These rules may be called the Ministry of Tribal Affairs (Legal Assistant, Group 'B' post) Recruitment Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and level in the pay matrix.—**The number of the post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, other qualifications, etc.—**The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. **Disqualification.—**No person,—

a. who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

b. who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.—**Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.—**Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Ex-servicemen and other special category of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Pay level in the pay matrix	Whether selection post or non- selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Legal Assistant	1*(2021) *Subject To variation dependent on workload.	General Central Service, Non-Gazetted, Non-Ministerial Group B.	Level-7 (Rs.44900-142400).	Not applicable	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	deputation including short-tern contract- 100 per cent

In case of recruitment by promotion or deputation / absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption is to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Officers under the Central Government or State Government or Union territory administrations or public sector undertakings or autonomous body or statutory body or recognized research institute: A(i) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years regular service in post in level 6 (Rs.35400-112400) of the pay matrix as per seventh Central Pay Commission or equivalent; and	Not applicable	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

(B) possessing the educational qualifications and experience prescribed as under: (i) educational qualifications: Bachelors Degree in Law from a recognized University or Institution (ii) experience: Two years experience in legal matters in Central Government or State Government or Union territory administrations or public sector undertakings or autonomous body or statutory body or recognized research institute. **Note 1:** Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 2**: The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty-six years as on the last date of receipt of applications.		

[F. No. 1 1 0 1 3 /1/2010-Estt.]

REEMA SHARMA, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SURENDER MAHADASAM
Digitally signed by SURENDER MAHADASAM
Date: 2021.09.20 16:32:39 +05'30'